

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003912014

दांडिक प्रकरण क.-424 / 14

संस्थापित दिनांक-28.07.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-मोहम्मद जफर अंसारी पुत्र मोहम्मद सरीफ अंसारी उम्र 27 साल निवासी मालन खो रोड रूडी बाबडी के पास, बाहर शहर चंदेरी।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री के एन भार्गव अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 28.01.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी राकेश सिंह ने दिनांक 13.06.14 को आरक्षी केन्द्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि दिनांक 12.06.14 को अपराध क्रमांक 250/14 के आरोपीगण की तलाश हेतु हमराह टीआई सिकरवार साहब एवं फोर्स के जा रहे थे तभी मुखविर द्वारा सूचना मिली कि बदमाश इंडिका कार से जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 06 सीए 2081 में बैठकर मुंगावली रोड तरफ भागे हैं। मुखविर की सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स मय साक्षी क्रांति जैन एवं महेंद्र बरार मुंगावली रोड पर अर्जुन अहिरवार के मकान के पास एक इंडिका कार को घेरकर फोर्स की मदद से रोका तथा उसमें बैठे 5 व्यक्तियों को पकडकर तलाशी ली जिसमें एक व्यक्ति दाहिने तरफ कमर में पेंट के नीचे एक 315 बोर का देशी कटटा दबाए था तथा बाएं तरफ जेब में दो 315 बोर के जिंदा राउंड रखे मिला जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जफर अंसारी पुत्र मोहम्मद सरीफ अंसारी निवासी बाहर शहर चंदेरी का होना बताया तथा कटटा एवं राउंड रखने का लायसेंस का पूछने पर उसने न होना बताया। वैध अनुज्ञा पत्र न होने से उसे 25/27 आर्म्स एक्ट के अपराध में आरोपी से जप्ती कर उसे पंचान के समक्ष मौके पर गिरफ्तार किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 251/14 के अंतर्गत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध 25 (1-बी) (ए) आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को

देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 13.06.14 को समय 00.05 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी मुंगावली रोड स्थित अर्जुन अहिरवार के मकान के पास सराय चंदेरी में अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं दो 315 जिंदा राउण्ड अपने आधिपत्य में रख के और ऐसा करके धारा 3 आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 कलेक्टर सिंह, अ.सा. 02 वसी आसिफ कुरैशी, अ.सा. 03 राजकुमार सिंह, अ.सा. 04 महेंद्र, अ.सा. 05 कांतिकुमार, अ.सा. 06 योगेंद्र सिंह जाट, अ.सा. 07 राकेश सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 03 राजकुमार सिंह ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 13.06.14 को वह थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को रात्रि में वह नगर निरीक्षक के साथ कस्बा भ्रमण पर गया था। उक्त साक्षी के अनुसार कस्बा भ्रमण के दौरान मुंगावली रोड पर आरोपी पेड के नीचे कमर में 315 बोर का कट्टा तथा दो जिंदा राउंड मौके पर रखे हुए मिला। अ.सा. 03 के अनुसार उसने विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिए थे तथा जिला कलेक्टर से अभियोजन स्वीकृति प्रपी 02 प्राप्त कर प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त साक्षी के अनुसार साक्षी महेंद्र बरार एवं कांति जैन को वे लोग साथ में लेकर गए थे। अ.सा. 04 महेंद्र पक्षद्रोही हो गया है तथा उसने उसके समक्ष कोई भी जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही न होना व्यक्त किया है। अ.सा. 05 कांति कुमार ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता और न ही पहचानता है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त घटना दिनांक को वह मुंगावली से आ रहा था तब रास्ते में एक गाड़ी में पांच लोग मिले थे जिसमें से एक व्यक्ति कट्टा लिए हुए था। उक्त साक्षी के अनुसार वे लोग हंगामा कर रहे थे जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष कोई जप्ती हुई थी। अ.सा. 06 योगेंद्र सिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को घटनास्थल पर एक व्यक्ति मिला था जिसके पास से एक 315 बोर का कट्टा मिला था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके सामने एक ही व्यक्ति से कट्टा जप्त किया गया था।

08— अ.सा. 01 कलेक्टर सिंह मामले में जप्तशुदा कट्टा का जांचकर्ता अधिकारी है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने दिनांक 14.06.14 को जप्तशुदा कट्टे की जांच की थी जिसकी रिपोर्ट प्रपी 01 है और उक्त रिपोर्ट के अनुसार कट्टा चालू हालत में था। उक्त साक्षी के अनुसार जप्तशुदा राउंड लायसेंस के आधार पर किसी भी दुकार पर विक्रय हेतु उपलब्ध होते हैं। अ.सा. 02 वसी कुरैशी ने अपने कथन में बताया है कि थाना चंदेरी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने बाबत स्वीकृति चाही गई थी जो कि जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान की गई थी जो प्रपी 02 है। उक्त साक्षी के अनुसार तत्कालीन

09— अ.सा. 07 राकेश सिंह ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 13.06.14 को वह थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार वे लोग रात्रि में अपराध की विवेचना हेतु मुंगावली चुंगी की ओर गए थे जहां पर पांच व्यक्तियों के इंडिका कार में मुंगावली की ओर जाने की सूचना मिली थी जिस पर से उनके द्वारा पीछा कर गाड़ी को रोक तलाशी ली गई, जिसमें से एक व्यक्ति के पास 315 बोर का कटटा एवं जिंदा राउंड मिले थे जिसके संबंध में उक्त व्यक्ति के पास लायसेंस नहीं था और तत्पश्चात् आरोपी से प्रपी 03 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थी। अ.सा. 07 के अनुसार कटटा प्रदर्श ए-01 एवं राउंड प्रदर्श ए-02 एवं ए-03 जप्त किए गए थे। अ.सा. 07 के अनुसार आरोपी को थाने लेकर आए थे एवं प्रसूरि प्रपी 06 लेखबद्ध की गई थी। प्रकरण में रोजनामचा खानगी सान्हा प्रपी 07 है तथा वापसी सान्हा प्रपी 08 है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके द्वारा प्रकरण में घटनास्थल का नक्शामौका नहीं बनाया गया था।

11— अ.सा. 03 ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को कस्बा भ्रमण के दौरान आरोपी के पास से एक देशी कटटा एवं दो जिंदा राउंड जप्त किए गए थे। अ.सा. 07 जो कि मामले का विवेचक है उक्त साक्षी के अनुसार भी उक्त घटना दिनांक को आरोपी के पास से एक देशी कटटा एवं दो जिंदा राउंड जप्त किए गए थे जिसे रखने का आरोपी के पास कोई वैध लायसेंस नहीं था। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जप्तशुदा कटटा एवं राउंड न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा रवानगी सान्हा प्रपी 07 सी एवं वापसी सान्हा प्रपी 08 सी भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को विवेचना हेतु विवेचक एवं अन्य पुलिस कर्मचारी रवाना हुए थे और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर वापस हुए थे। प्रकरण में आरोपी की ओर ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में झूठा मामला बनाया गया है। इस प्रकार अ.सा. 03 एवं अ.सा. 07 की साक्ष्य स्पष्ट एवं तटस्थ रही है। उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता हो। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उससे यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी के पास से एक देशी कटटा एवं दो राउंड जप्त किए गए थे जिसे रखने

का आरोपी के पास कोई वैध लायसेंस नहीं था।

12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को 25 (1-बी) (ए) आयुध अधिनियम 1959 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

13— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्चः—

14. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री के एन भार्गव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी के विरुद्ध 25 (1-बी) (ए) आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत प्रमाणित हुआ है जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

15. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उसके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उसे यह शिक्षा प्रदान करे कि किसी भी प्रकार का आयुध रखना न केवल एक अपराध है, बल्कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को 25 (1-बी) (ए) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

16. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर का एक कटटा एवं 315 बोर के दो जिंदा राउंड मूल्यहीन होने से जिला कलेक्टर अशोकनगर को नष्ट किए जाने बाबत भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

18. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19. आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)